अध्याय 6

अन्वेषण प्रयासों की प्रभावकारिता

नामांकन ब्लॉकों में अपने अन्वेषण प्रयासों में ओआईएल कितना प्रभावी था निर्धारित करने के लिये, लेखापरीक्षा ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान नामांकन व्यवस्था के अंतर्गत पीईएल ब्लॉक को छोड़ने और पीईएल ब्लॉक को पीएमएल ब्लॉक में बदलने की स्थिति की समीक्षा की। 16 पीईएल ब्लॉक और 22 पीएमएल ब्लॉक में से, लेखापरीक्षा ने क्रमश: 5 पीईएल और 7 पीएमएल ब्लॉकों की समीक्षा की।

लेखापरीक्षा ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान ब्लॉकों में एनईएलपी के विभिन्न स्तरों, एमडब्ल्यूपी की उपलब्धि की स्थिति और एनईएलपी ब्लॉकों में ओआईएल द्वारा निर्णीत हर्जाने के भुगतान के अंतर्गत ओआईएल द्वारा बोली की सफलता की भी समीक्षा की। ओआईएल द्वारा छोड़े गये ब्लॉकों की भी समीक्षा की गई। इसके अतिरिक्त एमओपीएनजी और डीजीएच की भूमिका और ओआईएल के अन्वेषण प्रयासों से संबंधित कुछ विशेष मुद्दों को भी उजागर किया गया है।

6.1 नामांकन ब्लॉकों में निष्पादन

6.1.1 पीईएल को पीएमएल ब्लॉकों में परिवर्तित करने की स्थिति

नामांकन व्यवस्था के अंतर्गत, ओआईएल को 1985 से 1999 की अवधि के दौरान 16 ब्लॉकों में पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस (पीईएल) दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त ब्लॉकों में से सात की स्थिति की समीक्षा की और देखा कि:

- 2013-14 को समाप्त पिछले पांच वर्षों के दौरान, ओआईएल ने केवल दो ब्लॉकों वो भी आंशिक रूप से को पीईएल से पीएमएल में परिवर्तित किया था। आबंटित 1887 वर्ग किलो. (बोरहट के लिए 222 वर्ग किलोमीटर और तिनसुकिया के लिये 1665 वर्ग किलोमीटर) में से केवल 90 वर्ग किलोमीटर (बोरहाट पीईएल: 81 वर्ग किलामीटर और तिनसुकिया पीईएल: 9 वर्ग किलोमीटर) परिवर्तित किया गया था।
- पांच क्रियाशील पीईएल में से, ओआईएल ने तीन ब्लॉकों (डिबरूगढ, तिनसुकिया और देवमाली) में विस्तार के लिये आवेदन किया, जिसके संबंध में डीजीएच का अनुमोदन प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2014)। शेष आबंटित (मई 1990 और अप्रैल 1999) दो पीईएल ब्लॉको (जयरामपुर एक्सेटेंशन और नामचिक पीईएल) में, ओआईएल ने केवल दो स्थानों[41] पर ड्रिल करने का कार्य किया।

[41] जेआरबी और एनसीके-1

6.1.1.1 पीईएल ब्लॉको के प्रबंधन में महत्वपूर्ण मुद्दे

ओआईएल को डिबरूगढ पीईएल नवम्बर 1987 में दिया गया था। डीआईबीएच स्थान पर सिविल कार्य शुरू नहीं किया जा सका चूँकि भूमि फरवरी 2009 में ही प्राप्त की जा सकी थी। भूमि प्राप्त होने के बाद भी, सिविल निर्माण शुरू नहीं किया जा सका चूँकि पीईएल मार्च 2009 में समाप्त हो गया था। ओआईएल ने अप्रैल 2009 में पीईएल समाप्त होने के बाद ही बढ़ाने के लिये आवेदन किया, जो फरवरी 2011 में दिया गया था और फरवरी 2013 तक वैध था। अप्रैल 2009 से फरवरी 2011 की अवधि के दौरान, पीईएल के लंबित विस्तार पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, सिविल निर्माण स्थानीय किसानों द्वारा अधिक क्षतिपूर्ति की मांग और मुकदमेबाजी के कारण शुरू नहीं किया जा सका। यह 2012 से अनसुलझा रहा।

डीआईबीसी स्थान पर, ओआईएल ने नया सिविल कार्य किया चूँकि ₹ 1.17 करोड़ की लागत पर पहले किया गया निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गया था। ओआईएल को सिविल कार्य के पुनर्निर्माण के लिये ₹ 0.90 करोड़ की राशि खर्च करनी थी।

एमओपीएनजी ने फरवरी 2015 तक अतिरिक्त विस्तार दिया। पीईएल अभी भी पीएमएल (अप्रैल 2015) में परिवर्तित होना है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि ओआईएल ने मार्च 2009 से पूर्व पीईएल के विस्तार के लिये समय पर कार्यवाही नहीं की। इसके अतिरिक्त, एमओपीएनजी ने अतिरिक्त विस्तार देने में 22 महीनों का अत्यधिक समय लगाया उसके कारण नये सिविल निर्माण पर अतिरिक्त व्यय हुआ और साइट निष्क्रिय रही।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि डिबरूगढ़ पीईएल वर्तमान में खोज सहित परिचालन के अंतर्गत है। डीआईबीसी में की गई खोजो के आधार पर, डीआईबीएच में हाइड्रोकार्बन के साकारात्मक संकेत की मौजूदगी और 3डी भूकंप संबंधी अनुमान के आधार पर निर्धारित संभावनाओं की मौजूदगी, 168.30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र डिबरूगढ़ पीएमएल विस्तार को परिवर्तित करने के लिये फरवरी 2015 में प्रयोग किया गया था।

तथ्य रह जाता है कि ओआईएल के पास बलॉक 28 वर्ष तक रहा और अभी भी ब्लॉक को पीएमएल में परिवर्तित किया जाना है (अप्रैल 2015)।

6.1.2 पीईएल ब्लॉक को छोड़ने की स्थिति

16 पीईएल ब्लॉकों में से, ओआईएल ने ₹ 219.11 करोड़ (परिशिष्ट-V) का व्यय करने के बाद भी, बिना किसी प्रकटीकरण के 9 ब्लॉकों को 15 से 26 वर्ष तक रखने के बाद छोड़ दिया।

6.1.2.1 पीईएल ब्लॉकों को छोड़ने में महत्वपूर्ण मुद्दे

- लखीमपुर पीईएल को दिसम्बर 1995 में ओआईएल को दिया गया था। यद्यपि ओआईएल ने व्यापक सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया था और मध्यम प्रकार की संभावनाऐं भी निर्धारित कर ली गई थी, पीईएल ब्लॉक, पीईएल समाप्त होने के कारण मार्च 2009 में छोड़ा गया था क्योंकि एमओपीएनजी ने समयावधि अतिरिक्त विस्तार नहीं दिया।

  लेखापरीक्षा की राय में भौगोलिक बाधाओ (क्षेत्र ब्रहमपुत्र नदी प्रणाली में होने से) के आधार पर ब्लॉक को छोडने का निर्णय सर्वेक्षण कार्य ₹ 169.15 करोड़ का व्यय किये बिना पहले लिया जा सकता था और ओआईएल की ओर से योजना में कमी का संकेत देता है।
- मरघेरिता पीईएल नवम्बर 1987 में ओईएल को दिया गया था। ओआईएल ने ब्लॉक में ₹ 14.46 करोड़ का व्यय किया। जांच ने ब्लॉक के अंतर्गत क्षेत्र में गैस की मौजूदगी की पुष्टि की। प्राप्त नमूनों के आधार पर, क्षेत्र पर पुन: अनुमान लगाया गया और ओआईएल ने संगठन को अधिक काम देकर जांच न किये गये संभावित क्षेत्र की जांच की योजना बनाई। तथापि, ओआईएल ने पीईएल समाप्त होने के कारण ब्लॉक छोड़ दिया (अप्रैल 2009)।

लेखापरीक्षा की राय में यह ओआईएल द्वारा प्रयासों की कमी और योजना में कमी दर्शाता है क्योंकि उसके पास पीईएल ब्लॉक 22 वर्षों तक था और हाइड्रोकार्बन की मौजूदगी के प्रारंभिक संकेत होने के बाद भी पीईएल ब्लॉक छोड दिया।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि लखीमपुर और मरघेरिटा पीईएल को पहचान किए गए संरचनाओं में अन्वेषणात्मक रूप से ड्रिल किए गये कुओं में खराब हाइड्रोकार्बन के कारण छोड़ा गया था।

तथापि लखीमपुर और मरघेरिता ब्लॉक के बारे में ओआईएल का उत्तर ओआईएल के अभिलेखों में मौजूदा तथ्यों द्वारा साबित नहीं हुआ है, जो हाइड्रोकार्बन की साकारात्मक संभावनाओं का संकेत देता है।

6.1.3 पीएमएल ब्लॉक की स्थिति

ओआईएल के पास 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 22 पीएमएल ब्लॉक क्रियाशील थे, जिसमें छह ब्लॉक[42] पीएमएल में परिवर्तन के बाद 4 से 14 वर्षों तक निष्क्रिय रहे। ओआईएल ने छह ब्लॉकों के निष्क्रिय होने का कारण बताया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल है:

[42] निंगरू एक्सटेंशन (खेरम), तिनसुखिया, बोरहापजन, धोलिया, मेचाकी और मेचाकी एक्सटेंशन।

- तिनसुकिया में, स्थानीय मुद्दों के कारण पीएमएल के अंदर खोज में से एक में नियमित उत्पादन नहीं हो सका और कुछ ढूंढे गये/बढाये गये कुओं को अनिर्णायक उत्पादन व्यवहार के कारण बंद किया गया है।
- बोरहापजन में, डाउन-होल समस्या के कारण, अनिर्णायक उत्पादन व्यवहार और निकास सुविधा का अभाव, संरचना की विस्तृत जांच उस समय नहीं की जा सकी।
- घोलिया में, वर्तमान में एक कुऐं को निकासी की सुविधा की उपलब्धता के बाद कार्य के लिये लिया गया था।
- मेचाकी में, वाणिज्यिक उत्पादन स्रोत की समस्या के कारण संभव नहीं था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि छह ब्लॉक में से, पांच ब्लॉक में बताये गये कारण यथार्यपूर्ण नहीं थे। पीईएल को पीएमएल में परिवर्तित करना हाइड्रोकार्बन के खोजने का परिणाम है। वैसे तो इतने बाद में जमीनी वास्तविकता के अनिर्णायक उत्पादन व्यवहार जैसी समस्याओं को बताना उचित नहीं है। ओआईएल सुविधाओं को व्यवस्थित करने के लिये समय से कार्यवाही कर सकता था जैसा ऊपर कहा गया है क्योंकि ओआईएल ईएंडपी क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाता है और नकद समृद्ध इकाई है।

6.2 एनईएलपी ब्लॉकों में निष्पादन

6.2.1. बोली की सफलता

क्रम-IX तक, भारत सरकार ने 360 अन्वेषण ब्लॉक दिये, जिसमें से 254 ब्लॉक 31 मार्च 2014 तक दे दिये गये थे। ओआईएल ने सभी नौ एनईएलपी क्रमों में भाग लिया और 67 ब्लॉकों के लिये बोली प्रस्तुत की और या तो अकेले या सह-व्यवस्था के रूप में 40 ब्लॉक दिये गये। 40 ब्लॉकों में से, ओआईएल ने 11 ब्लॉकों में सक्रिय रूप से कार्य किया। दिये गये क्रम-वार ब्लॉकों, प्रस्तुत बोलियों और ओआईएल को दिये गये ब्लॉकों का विवरण अनुलग्नक VI में दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- एनईएलपी क्रमों में भागीदारी की प्रतिशतता कम थी क्रम-IX को छोडकर जहां ओआईएल ने दिये गये ब्लॉकों की 50 प्रतिशत के लिये बोली लगाई। भागीदारी 4 और 50 प्रतिशत के बीच रही।
- ओआईएल सभी ब्लॉकों के अधिग्रहण में सफल रहा जिसके लिये उसने चार एनईएलपी क्रमों (अर्थात् एनईएलपी-I, II, III और VI) में बोली प्रस्तुत की थी। तथापि, ओआईएल का निष्पादन, एनईएलपी क्रम-V और IX में अधिक उत्साहजनक नहीं था, जहां सफलता की प्रतिशतता क्रमश: 14 और 24 थी।

- 27 ब्लॉकों में, ओआईएल ने सफल बोलीदाता की तुलना में बोली प्रस्ताव में काम के प्रति कम प्रतिबद्धता/वित्तीय पैकेज/तकनीकी दक्षता के कारण एनईएलपी के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिये अवसर खो दिया।

ओआईएल ने कहा (अप्रैल 2015) कि एनईएलपी में भागीदारी प्रबंधन द्वारा निर्णीत विभिन्न कारकों अर्थात भविष्य रिर्जव संविभाग के विस्तार के लिये संभावित क्षेत्र के अधिग्रहण का शेष, विकास करने के लिये राजस्व उत्पन्न करने हेतु संचालन के मुख्य क्षेत्र में निवेश, आंतरिक/बाहरी विशेषज्ञों द्वारा अनुमानित भौगोलिक और वाणिज्यिक संभावनाऐं, संसाधन उपलब्धता (श्रम, सामग्री और निधि), सहभागियों के साथ जोखिम बांटना, स्थान और रूपरेखा की उपयुक्तता आदि का कार्य है।

उत्तर को इस तथ्य की रोशनी में देखा जाना चाहिए कि ओआईएल ने एनईएलपी क्रम I से VII में 2 से 8 ब्लॉक के लिये अपनी बोली प्रस्तुत की थी, जो अत्यन्त कम है। तथापि, ओआईएल ने एनईएलपी के अगले दो क्रमों में 14 और 17 ब्लॉकों के लिये बोली प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक प्राप्त करने की सफलता दर एनईएलपी क्रम-V और IX में उत्साहजनक नहीं थी। उसने बोली प्रस्ताव में कार्य के प्रति कम प्रतिबद्धता/वित्तीय पैकेज/तकनीकी दक्षता के कारण ब्लॉक के अन्वेषण के लिये अवसर भी खो दिया। यद्यपि ओआईएल ने स्वयं उल्लिखित किया कि एनईएलपी के अंतर्गत प्रचालक को चार तरीकों अर्थात (i) उसे बेहतर मूल्य मिलेगा चूँकि कच्चे तेल का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रक्रिया पर निर्धारित होगा, (ii) अन्वेषण उपकरण के आयात पर सीमा शुल्क पर छूट, (iii) अधिशुल्क की दर कम होगी, और (iv) उपकर के भुगतान में छूट आदि से लाभ मिलता है। वो सभी प्रयासों के बावजूद बोली प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाया जैसा ऊपर से स्पष्ट है।

6.2.2 एमडब्ल्यूपी के अनुपालन की स्थिति

ओआईएल 31 मार्च 2014 तक कार्यशील 27 ब्लॉक में या तो अकेले या कन्सोर्टियम के रूप में भाग लेना चाहता था। ओआईएल इन 27 ब्लॉकों में से 11 ब्लॉकों में प्रचालक है।

6.2.2.1 एमडब्ल्यूपी को प्राप्त न करने में महत्वपूर्ण मुद्दे

लेखापरीक्षा ने 11 ब्लॉकों में से 7 ब्लॉकों की समीक्षा की जहां ओआईएल प्रचालक था और इन ब्लॉकों के संबंध में महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित प्रकार हैं:

i) असम में कार्बी-अंगलोंग और नार्थ कछर हिल जिला में एनईएलपी-IV के अंतर्गत ब्लॉक **एए-ओएनएन-2002/3** ओआईएल (पीI:30 प्रतिशत) के कन्सोर्टियम और ओएनजीसी (पीI:70 प्रतिशत) को दिया गया था (अप्रैल 2004), जहां ओआईएल प्रचालक था। पीईएल फरवरी 2005 में असम सरकार से प्राप्त हुआ था।

ओआईएल ने ₹ 11.95 करोड़ के ठेके मूल्य पर मैसर्स शिव-वाणी ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड, नई दिल्ली (शिव-वाणी) को 100 भू-रसायन नमूनों के साथ 2डी भूंकप संबंधी सर्वेक्षण 300 ग्राउंड लाईन किलोमीटर (जीएलकेएम) के अधिग्रहण के लिये ठेका दिया (अक्टूबर 2005)। चूँकि शिव-वाणी ने ठेके के अनुसार भूकंप संबंधी सर्वेक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया; ओआईएल ने वास्तविक ठेके को रद्द कर दिया (जुलाई 2007)। इसके बाद, ओआईएल ने केवल 150 जीएलकेएम के लिये मैसर्स इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड (आईओटीएल) को 2डी भूकंप संबंधी सर्वेक्षण के लिये ठेका दिया (नवम्बर 2008)। ओआईएल ने आईओटीएल को फिर से अक्टूबर 2010 में 100 जीएलकेएम और सितम्बर 2011 में 50 जीएलकेएम दिया। आईओटीएल ने जनवरी 2012 में कार्य पूर्ण किया।

लेखापरीक्षा ने ठेके प्रक्रिया की योजना में मुख्य अभाव देखा जैसा नीचे विवरण दिया गया है:

- जबकि समाप्ति नोटिस ठेकेदार को जनवरी 2007 में दिया गया था, ठेका जुलाई 2007 में रद्द हुआ था। इसप्रकार, ओआईएल ने एमडब्ल्यूपी के छह महत्वपूर्ण माह बर्बाद किये।
- तीन ठेकों को 300 जीएलकेएम के प्रारंभिक कार्य में विभाजित करने के बजाय, ओआईएल ने एक ठेकेदार अर्थात आईओटीएल को कार्य सौंपा और इस प्रकार प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण का अवसर खो गया।
- फलस्वरूप, ओआईएल ने समान कार्य के लिये आईओटीएल को ₹ 41.79 करोड़ पर ठेका दिया, जो वास्तविक रूप से केवल ₹ 11.95 करोड़ के ठेके मूल्य पर शिव-वाणी को दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप सह-व्यवस्था द्वारा ₹ 29.84 करोड़ की राशि का अतिरिक्त भुगतान हुआ जहां ओआईएल का ₹ 8.95 करोड़ का हिस्सा था।
- चरण-II को पूर्ण करने में विलम्ब के कारण, ₹ 31.78 लाख (सितम्बर 2014 तक) का जुर्माना डीजीएच द्वारा लगाया गया था जिसमें ओआईएल का ₹ 9.53 लाख का शेयर था।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि 150 जीएलकेएम 2डी भूकंप संबंधित डाटा के शुरूआती तौर पर अधिग्रहण के अनुमान के माध्यम से क्षेत्र की हाईड्रो कार्बन संभावना को सुनिश्चित करने के बाद, दोनों जेवी भागीदार (ओआईएल और ओएनजीसी) एक साथ 2डी भूकंप संबंधित डाटा (250 जीएलकेएम के लिये किया गया ठेका संशोधन) के अतिरिक्त 100 जीएलकेएम अधिग्रहण के लिये सहमत हुये और बाद में अध्ययन क्षेत्र में पूर्वानुमान को कम करने के लिये और अतिरिक्त 50 जीएलकेएम (300 जीएलकेएम के लिये किया गया ठेका संशोधन) के लिये अतिरिक्त विस्तार, कुछ भौगोलिक पूर्वानुमानों के विवरण करने के लिये आवश्यक था जिनका मूल्यांकन शुरू में 150 जीएलकेएम ब्रॉड ग्रिड भूकंप संबंधित डाटा अधिग्रहण के आधार पर ऑयल और गैस के लिये उचित ड्रिलिंग स्थान प्रदान करने के लिये किया गया था।

ओआईएल का उत्तर इस संदर्भ में देखने की आवश्यकता है कि यह केवल दीर्घदर्श में बाद की घटना में ठेके को विभाजित करते समय 2डी सर्वेक्षण के 300 जीएलकेएम पर कार्य का क्षेत्र और मात्रा को बनाये रखा। यदि ओआईएल प्रारंभ में ऐसे विभाजन में उचित होता, वो विलम्ब और वृद्धि से बच सकता था। यह ओआईएल की ओर से ब्लॉक की व्यावहारिकता के निर्धारण में दीर्घकालिक योजना मे त्रुटि दर्शाता है।

ii) राजस्थान में तटवर्ती ब्लॉक **आरजे-ओएनएन-2004/2** ओआईएल के कन्सोर्टियम (75 प्रतिशत पीI) और मैसर्स जीओ ग्लोबल रिसोर्सेज (बार्बाडोस) इन कार्पोरेटेड जीजीआर (25 प्रतिशत पीI) को बोलियों के एनईएलपी-VI क्रम में दिया गया था।
लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- अक्टूबर 2008 में, ओआईएल ने 3डी भूकंप संबंधित एपीआई पूर्ण करने और अक्टूबर 2011 तक 12 अन्वेषण कुएं बनाने की योजना बनाई। तथापि, एपीआई में विलम्ब के कारण और ड्रिलिंग स्थानों को छोड़ने के कारण, वास्तविक उपलब्धि में मूल चरण I अवधि में 10 अन्वेषण कुओ की कमी रिकॉर्ड की गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 34.35 करोड़ के एलडी का परिहार्य भुगतान हुआ।
- चरण I (जनवरी 2012 से जुलाई 2013) की विस्तारित अवधि के दौरान एक और कुआं ड्रिल किया गया था।
- जीजीआर ने कहा कि प्रबंधन समिति के निर्देशों के अंतर्गत, उन्होंने ओआईएल के ब्लॉक में पीआई के स्थानांतरण के लिये परिचालन समिति (ओसी) प्रस्ताव हस्ताक्षर किया और इसलिये वो ओआईएल था जिसे ब्लॉक में जीजीआर के शेयर के प्रति भी एलडी राशि का भुगतान करना पड़ा। वर्तमान में, मध्यस्थता का मामला प्रगति पर है।
- जुलाई 2012 में पूनम-1 कुऐं में अत्याधिक चिपचिपा काफी तेल देखा गया। तथापि, दो वर्षों से अधिक समाप्त होने के बाद भी वाणिज्यिकता की घोषणा (डीओसी) अभी तक (दिसम्बर 2014) प्रस्तुत नहीं की गई है।
- चरण-II, इस चरण में एक भी कुऐं की ड्रिलिंग के बिना जनवरी 2015 में समाप्त हो गया।

इस प्रकार, एपीआई और अन्वेषण ड्रिलिंग में काफी विलम्ब वाले ड्रिलिंग स्थानों को छोड़ने में ओआईएल की ओर से विलम्ब के कारण अभी तक ब्लॉक में खोज का गैर-मुद्रीकरण हुआ।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि 3डी भूकंप संबंधित डाटा नवम्बर 2008 में प्राप्त हुआ था और प्रक्रिया मई 2009 में पूर्ण हुई थी। पूर्वानुमान अप्रैल 2010 में पूर्ण हुआ था। इसके अतिरिक्त, एकीकृत आंतरिक पूर्वानुमान ओआईएल के पूर्वानुमान केन्द्र में भी किया गया था जिससे छह स्थान निर्धारित किये गये थे। इस प्रकार, ड्रिलिंग स्थानों को

अंतिम रूप देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था। पहले चरण में, अप्रैल 2011 से सितम्बर 2011 के दौरान सर्वोच्च स्थानों में ड्रिलिंग की गई थी। दोनों कुऐं खराब हाइड्रोकार्बन संभावनाओं के कारण छोड़ दिये गये थे। पूनम-1 कुआं ब्लॉक का अन्वेषण कुआं था। इस प्रकार, अंतिम रूप देने और ड्रिलिंग स्थान छोड़ने में कोई भी अनुचित विलम्ब नहीं हुआ था। इसलिये 10 प्रतिशत एलडी का भुगतान अपरिहार्य था।

जीजीआर के ठेका-भंग मामले को स्वीकार करते समय ओआईएल ने जोड़ा कि वाणिज्यिकता की घोषणा (डीओसी) जून 2014 तक प्रस्तुत करनी अपेक्षित थी। तथापि, उचित तकनीक की उपलब्धता न होना और मूल्यांकन कार्य योजना को पूर्ण करने के लिये ड्रिलिंग रिग को ध्यान में रखते हुये डीओसी की स्थिति और जीएंडजी समीक्षा शामिल नोट जून 2014 में डीजीएच को प्रस्तुत किया गया था। ओआईएल के प्रयास जारी थे और वो ओआईएल के गैस क्षेत्र से संघनन कोल्ड उत्पादन तकनीक के प्रयोग से पूनम-1 कुऐं में प्रयोगात्मक उत्पादन जांच कर रहा था। ओआईएल ने मूल्यांकन कार्य पूर्ण करने और अधिक चिपचिपे काफी तेल के अन्वेषण से संबंधित डीओसी के लिये जून 2014 से 3 वर्ष की अतिरिक्त अवधि देने के लिये डीजीएच/एमओपीएनजी को आवेदन किया। ओआईएल के प्रयास इस प्रकार के कच्चे तेल के उत्पादन के लिय जारी थे और वर्तमान में कुआं जाइलीन उपचार के बाद कुऐं के तरल पदार्थ के करीब 8 बीबीएलएस की दर पर खाली हो रहा था। यद्यपि ब्लॉक का चरण II जनवरी 2015 में समाप्त हो गया था, कुओं, ड्रिलिंग रिग की आवश्यकता के लिये ड्रिलिंग नहीं की जा सकी।

तथ्य रह जाता है कि, सबसे पहले, ओआईएल लंबित प्रयोग और पूर्वानुमान कार्य में विलम्ब को उचित सिद्ध करने में सक्षम नहीं रहा जिसका सीधा प्रभाव ड्रिलिंग स्थान पहचानने और छोड़ने में विलम्ब पर पड़ा। दूसरा, ओआईएल की दो मुख्य एनओसी के रूप में दी गई ओआईएल की स्थिति, ओआईएल को नवीनतम तकनीक के साथ चलना चाहिये। ड्रिलिंग रिगों का समय से परिनियोजन सक्षम करने के लिये काफी पहले सही तकनीक अपनाने की योजना बनानी चाहिये।

6.2.3 एनईएलपी ब्लॉकों को छोड़ने की स्थिति

ओआईएल ने, प्रचालक के रूप में, सात ब्लॉकों को छोड़ा, जिसमें से एक[43] ब्लॉक 2009-10 से पूर्व छोड़ा गया था और छह ब्लॉक 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान छोड़े गये थे।

[43] एमएन-ओएनएन-2000/1

ओआईएल ने 2009-10 से 2013-14 के दौरान अपूर्ण न्यूनतम कार्य योजना (एमडब्ल्यूपी) के प्रति ₹ 68.63 करोड़ की राशि के 6 ब्लॉकों के लिये एलडी का भुगतान किया। सभी छोड़े गये ब्लॉकों की समीक्षा अनुबंध VII में संक्षिप्त में है।

6.2.3.1 एनईएलपी ब्लॉकों को छोड़ने में महत्वपूर्ण मुद्दे

i) ब्लॉक एए-ओएनएन-2004/1 (अमगुडी) ओआईएल को पीआई की 85 प्रतिशत के साथ, प्रचालक के रूप में दिया गया था। एमडब्ल्यूपी में 2007 से शुरू 4 वर्षों के परियोजना चक्र सहित 2डी, 3डी भूकंप संबंधित (एपीआई), भू-रसायन प्रतिचयन के पुनर्संसाधन और 3 अन्वेषण कुओं की ड्रिलिंग शामिल है।

नये 3डी भूकंप संबंधित डाटा पूर्वानुमान के 144 वर्ग कि.मी. के आधार पर, 3 स्थान निर्धारित किये गये थे, जिसमें से 1 स्थान (एएमजी-1) अन्वेषण ड्रिलिंग के लिये छोड़ा गया था जिसकी अक्टूबर 2009 में ड्रिलिंग की गई थी। तथापि, कुऐं को हाईड्रोकार्बन न मिलने के कारण अप्रैल 2010 में छोड़ दिया गया था।

अन्वेषण कुऐं (एएमजी-2) के दूसरे स्थान की ड्रिलिंग के लिये भूमि अप्रैल 2010 में प्राप्त की गई थी और सिविल कार्य मई 2010 में शुरू किया गया था। ओआईएल ने एएमजी-2 की ड्रिलिंग पूर्ण करने के लिये चरण-I (दिसम्बर 2011 तक) के अंतर्गत 6 माह का विस्तार लिया जो जुलाई 2011 में ड्रिल किया गया था। एएमजी-2 दिसम्बर 2011 में छोड़ दिया गया था चूँकि हाइड्रों कार्बन की कोई खोज नहीं हुई थी। ओआईएल, 10 प्रतिशत एलडी द्वारा तीसरे समर्पित कुऐं (एएमजी-3) की जांच और ड्रिलिंग पूर्ण करने के लिये अतिरिक्त 6 माह के विस्तार (जून 2012 तक) प्राप्त करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ इस आधार पर कि मामला पहले ही लंबित है और एलडी के प्रति काफी अधिक देयता थी।

इसी बीच, एमओपीएनजी ने डीजीएच को निर्देश दिया था कि ब्लॉक का चरण-I दिसम्बर 2011 में समाप्त/रद्द हो गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

- एएमजी-I के मामले में, खुदाई के लिये नियोजित तिथि अगस्त 2009 थी। ओआईएल ने दो माह के विलम्ब के बाद अक्टूबर 2009 में कुआं खोदा।
- एएमजी-2 के लिये सिविल कार्य के निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण समय पर पूर्ण नहीं हुआ था। ओआईएल ने एएमजी-1 को छोड़ने से पूर्व एएमजी-2 के लिये सिविल कार्य पूर्ण करने के लिये पहले से उचित योजना नहीं बनाई।
- ओआईएल ने अपने प्रतिबद्ध एमडब्ल्यूपी को पूरा किए बिना ₹ 83.59 करोड़[44] का कुल व्यय किया और अंतत: ब्लॉक को छोड़ दिया।

[44] ₹ 98.35 कारोड़ का 85 प्रतिशत

- ओआईएल ने प्रतिबद्ध किए तीसरे कुएं (एएमजी-3) को ड्रिल नहीं किया और अनुचित नियोजन से उत्पन्न कार्यों के समापन में विलंब के कारण एमओपीएनजी को अपूर्ण प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की लागत के रूप में एलडी के प्रति ₹ 12.32 करोड़[45] की राशि का भुगतान किया।

ओआईएल ने उत्तर दिया (जनवरी 2015) कि ब्लॉक में तीव्र अन्वेषण कार्यकलापों के भाग के रूप में पहला कुआ एएमजी-1 ड्रिल किया गया था। एक पृथक दोषपूर्ण ब्लॉक पर ब्लॉक के उत्तरी भाग पर एएमजी-2 को ड्रिल किया गया था। एएमजी-2 की ड्रिलिंग से पूर्व अतिरिक्त भू-वैज्ञानिक अध्ययन किए गए थे। इसलिए, भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को एएमजी-1 के साथ-साथ आरंभ नहीं किया गया था। सिविल कार्य को शुरू करने में एक माह की चूक संबंधित ठेकों को अंतिम रूप देने में विलंब के कारण थी। ओआईएल ने फिर बताया कि भारी वाहनों/रिग यातायात के संचालन और रिग मशीनरियों की ढुलाई को सुगम बनाने के लिए 8.40 किमी. के एप्रोच मार्ग के सुदृढीकरण और मरम्मत के शामिल होने के कारण एएमजी-2 के लिए सिविल कार्य को पूरा करने हेतु एक वर्ष से अधिक का समय लिया गया था। इसके अतिरिक्त, एएमजी-2 के सिविल कार्य विकट मानसून समय के दौरान किए जाने थे जिसके कारण भी कुए एएमजी-2 की ड्रिलिंग में भी विलंब हुआ था।

ओआईएल का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि ओआईएल अधिकतर उपरी असम में कार्य करने वाला सत्त्व है और विलंब हेतु दिए गए ऐसे कारणों को संभालने में तकनीकी रूप से समर्थ है। चूंकि, एमएमजी-2 का भूमि अधिग्रहण और आनुंषगिक सिविल कार्य साथ-साथ आरंभ नहीं किया गया था, जबकि एएमजी-1 प्रगति में था, इसलिए विलंब कई गुणा बढ़ गया था। ओआईएल बहुमूल्य एमडब्ल्यूपी समय व्यर्थ किए बिना अतिरिक्त भू-वैज्ञानिक अध्ययन साथ-साथ कर सकता था। उपरोक्त ने ओआईएल की तरफ से खराब नियोजन को दर्शाया।

इसके अतिरिक्त, 3डी भूकंपीय डाटा विवेचना के आधार पर आरंभिक चरण पर तीन स्थानों की भी पहचान (एएमजी-1, एएमजी-2, एएमजी-3) की गई थी और एमडब्ल्यूपी के अनुसार तीन कुओं की ड्रिल की जानी थी। तथापि, ओआईएल ने एएमजी-3 नहीं किया और एलडी का भार उठाया।

ii) राजस्थान में ब्लॉक आरजे-ओएनएन-2000/1 एनईएलपी-II के अंतर्गत ओआईएल को दिया गया था। प्रचालक के रूप में ओआईएल ने आरंभ में 100 प्रतिशत पी1 रखा था। ब्लॉक के लिए पीएससी को जुलाई 2001 में हस्ताक्षर किया गया था। पीईएल जनवरी 2002 में दिया गया था और चरण I, 3 वर्षों की अवधि के लिए पीईएल के देने की तारीख से प्रभावी था। तथापि, ब्लॉक को खराब हाइड्रोकार्बन संभावना के आधार पर चरण-III के दौरान फरवरी 2010 में छोड़ दिया गया था।

[45] ₹ 14.49 करोड़ का 85 प्रतिशत

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

इस ब्लॉक के चरण-II के दौरान मै. संटेरा रिसोर्सेज लिमिटेड (एसआरएल) ने 40 प्रतिशत शेयर के लिए भागीदार बनने हेतु रूचि प्रकट की। ओआईएल ने अगस्त 2006 में एक करार के माध्यम से भागीदारी के लिए एसआरएल की अनुमति देने का निर्णय लिया। एसआरएल को ओआईएल से पीI के सुपुर्दगी हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन एमओपीएनजी द्वारा उस चरण पर जून 2007 में किया गया था, जब चरण II के एमडब्ल्यूपी (अर्थात एक कुए की ड्रिलिंग) पहले ही शुरू हो चुकी थी (जून 2007)।

यह देखा गया कि जेवी भागीदार के रूप में एसआरएल ने ₹ 4.25 करोड़ (17.8.2001 से 31.3.2007 की अवधि के लिए जुलाई 2007 में उदभूत बिल) की राशि की पिछली लागत का भुगतान नहीं किया था, जोकि करार के अनुसार बीजक के उदभूत करने के 15 दिनों के अंदर भुगतान योग्य था।

ठेकागत दायित्वों के अननुपालन न करने के कारण ब्लॉक में एसआरएल की भागीदारी को पीएसपी के अनुच्छेद 29.5 के प्रावधानों के अंतर्गत अगस्त 2009 में समाप्त कर दिया गया था। लेखापरीक्षा ने देखा कि वित्तीय योगदान के बिना ब्लॉक की व्यावहारिकता के निर्धारण के लिए एसआरएल को अनुचित अवसर देने वाले ठेका को समाप्त करने में ओआईएल और एमओपीएनजी द्वारा दो वर्षों से अधिक का विलंब हुआ। एसआरएल ने चरण-III में प्रवेश करने में अगले निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि उपलब्ध लघु समय पर विचार करते हुए जेवी भागीदार ने न केवल ब्लॉक के कुए के पश्च ड्रिलिंग मूल्यांकन को शीघ्रता से देखने के लिए मै. आरपीएल एनर्जी लि. यूके (आरपीएस) की सेवाएं भाड़े पर लेने का सुझाव दिया (सितम्बर 2007) बल्कि आरपीएस को सीधे ही यह कार्य सौंप भी दिया (सितंबर 2007)। यह देखा गया कि शीघ्र अवलोकन मूल्यांकन करने के लिए आरपीएस को भुगतान करने के लिए पश्च कार्योत्तर अनुमोदन मात्र नवम्बर 2007 में ही ओआईएल द्वारा दिया गया।

ओआईएल ने उत्तर दिया (अप्रैल 2015) कि चरण-III में प्रवेश करने का निर्णय सभी जेवी भागीदारों द्वारा लिया गया संयुक्त निर्णय था।

ओआईएल का तर्क संतोषजनक नहीं है क्योंकि अगले चरण (जोकि संयोग से एसआरएल से आगामी नहीं थी) के दौरान निधियों की उपलब्धता यह निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण कारक से कम नहीं है कि अगले चरण में प्रवेश करना चाहिए या नहीं। यह किसी वित्तीय योगदान के बिना परामर्शदाता (मै. आरपीएस) का चयन करने और निर्णय लेने में भाग लेने की अनुमति देते हुए एसआरएल को अनुचित लाभ भी देता है।

6.3 एमओपीएनजी/डीजीएच द्वारा नामांकन और एनईएलपी ब्लॉकों की मॉनीटरिंग की प्रास्थिति

6.3.1 पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के देने में विलंब

एनईएलपी-VI के अंतर्गत, एमओपीएनजी ने ओआईएल (90 प्रतिशत पी I) और जीओ ग्लोबल रिसोर्सेज इन बर्बाडोस (10 प्रतिशत पी I) के संघ को ब्लॉक केजी-ओएनएन-2004/1 दे दिया था। ब्लॉक 549 वर्ग किमी. के क्षेत्र को कवर करता था जिसमे से 511 वर्ग किमी. आंध्र प्रदेश में और 38 वर्ग किमी. पुदुचेरी में था।

ब्लॉक के लिए पीएससी पर मार्च 2007 में हस्ताक्षर किया गया था, तथापि आंध्र प्रदेश में 511 वर्ग किमी. क्षेत्र के लिए पीईएल को पीएससी के हस्ताक्षर से 350 दिनों के अंतराल के पश्चात फरवरी 2008 में दिया गया था और पुदुचेरी में 38 वर्ग किमी. के लिए पीईएल को पीएससी के हस्ताक्षर से तीन वर्षों से अधिक के अंतराल के बाद जून 2010 में दिया गया था।

इस प्रकार, संबंधित राज्य सरकार द्वारा पीईएल देने में विलंब से भी अन्वेषण की प्रक्रिया और हाइड्रोकार्बन विजन 2025 में निर्धारित लक्ष्य में विलंब हुआ।

6.3.2 मंत्रालय/विभागों से मंजूरी में विलंब

नामांकन या पूर्व-एनईएलपी या एनईएलपी अवधि के अंतर्गत दिए गए ब्लॉकों में अन्वेषण कार्यकलाप करने के लिए ठेकेदार से विभिन्न मंत्रालयों/विभागों (अर्थात पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग) से विभिन्न मंजूरियां प्राप्त करना अपेक्षित है।

नवंबर 2014 को ब्लॉकों, जहां संबंधित मंत्रालयों/विभागों से मंजूरी प्राप्त करने में विलंब या मंजूरी न मिलने के कारण अन्वेषण कार्यकलाप प्रभावित हुए थे, को तालिका 6.1 में दिया गया है:

तालिका 6.1 - मंत्रालयों/विभागों से मंजूरियों में विलंब

क्रम सं.	ब्लॉक	लिया गया समय (दिनों में)	टिप्पणियां
1	एए-ओएनएन-2002/3	199	एमओईएफ द्वारा पर्यावरणीय मंजूरी देने में विलंब
2	एए-ओएनएन-2004/2	713	एमओईएफ द्वारा वन मंजूरी देने में विलंब
3	केजी-ओएनएन-2004/1	2093	एमओईएफ द्वारा वन मंजूरी देने में विलंब
4	निंगरू पीईएल	नौ वर्ष से अधिक	एमओईएफ द्वारा वन मंजूरी देने में विलंब
5	निंगरू एक्सटेन्स पीईएल	नौ वर्ष से अधिक	एमओईएफ द्वारा वन मंजूरी देने में विलंब
6	एमजे-ओएनएन-2004/1	चार वर्ष से अधिक	एमओईएफ द्वारा वन मंजूरी देने में विलंब
7	ओजे-ओएनएन-2000/1	एक वर्ष	रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूरी देने में विलंब

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- राज्य सरकारों से पीईएल प्राप्त करने और संबंधित मंत्रालयों/विभागों से मंजूरियां प्राप्त करने में विलंब ने अपस्ट्रीम ऑयल कम्पनियों की कार्यप्रणाली और साथ ही हाइड्रोकार्बन विजन 2025 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति उनके प्रयासों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।
- एनइएलपी राऊंड की प्रस्ताव सूची और नामांकन या पूर्व-एनईएलपी अवधि के अंतर्गत ब्लॉकों को देने में सम्मिलन के लिए ब्लॉको की कार्विंग आऊट से पूर्व विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एमओपीएनजी द्वारा मंजूरियां प्राप्त न करने के कारण ब्लॉकों के अन्वेषण में विलंब सूचित किए गए थे और अन्वेषण चरण में प्रतिबद्ध एमडब्ल्यूपी को पूरा नहीं किया जा सका था। इसने अपस्ट्रीम ऑयल कम्पनियों को उनके विशेषीकृत क्षेत्र (अर्थात अन्वेषण और उत्पादन) पर पूर्ण रूप से ध्यानकेंद्रण करने से वांचित कर दिया।

इस प्रकार, सात ब्लॉकों में ओआईएल के अन्वेषण प्रयासों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों से मंजूरियों को प्राप्त करने में विलंब या मंजूरियों के उपलब्ध न होने के कारण लंबित रखा गया था। इसके अतिरिक्त, रक्षा मंत्रालय से मंजूरी के अभाव में ब्लॉक सीवाई-ओएसएन-97/2 को ब्लॉक के देने के उद्देश्य को विफल करते हूए अन्वेषण किए बिना छोड़ दिया गया था।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पर स्थायी समिति (2014-15, सोलहवीं लोक सभा) ने भी अपनी पहली रिपोर्ट में सिफारिश की (दिसम्बर 2014), कि 46 प्रतिशत तलछटी बेसिन का हाइड्रोकार्बन विजन 2025 के अंतर्गत हाइड्रोकार्बन संभावना के लिए निर्धारित किया जाना था। तथापि, विभिन्न मंत्रालयों से अपेक्षित मंजूरी उपलब्ध न होने के कारण अन्वेषण

कार्यकलापों में विलंब हुआ था। इसलिए, समिति ने सिफारिश की कि एमओपीएनजी/डीजीएच को सुनिश्चित करना चाहिए कि नीलामी के लिए रखे गए ब्लॉकों के लिए संबंधित प्राधिकरणों से सभी आवश्यक मंजूरियां प्राप्त कर ली गई है जिससे कि सफल रही कम्पनियां शीघ्रता से अपना अन्वेषण कार्य शुरू कर सके।

तथापि, एमओपीएनजी ने निर्णय किया (दिसम्बर 2014) कि नीति के मामले के रूप में, यह भविष्य में नीलामी से पूर्व चिन्हित ब्लॉकों के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों से सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदन सुनिश्चित करेगा।

ओआईएल ने एनईएलपी के अंतर्गत ओआईएल को आबंटित 7 ब्लॉकों के संबंध में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पुष्टि की थी (अप्रैल 2015)। एक्जिट कान्फ्रेस (जुलाई 2015) में एमओपीएनजी ने दिसम्बर 2014 में लिए गए स्टेन्ड की पुनरावृत्ति की।

6.3.3 एमडब्ल्यूपी के समय पर समापन के लिए समझौता ज्ञापन में कम महत्व

एनईएलपी के अंतर्गत एमडब्लयूपी का समय पर समापन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि एमडब्ल्यूपी के समापन में विलंब के कारण एलडी के रूप में शास्ति लगाई जाती है। लेखापरीक्षा ने ओआईएल के अन्वेषण कार्यकलापों के लिए समझौता ज्ञापन में दिए गए महत्व की समीक्षा की और निम्नलिखित कमियां देखी:

2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान एनईएलपी ब्लॉकों के समय पर समापन और किसी अभाव के मामले में शास्ति के भुगतान के प्रति समझौता ज्ञापन में कोई पैरामीटर शामिल नहीं किए गए थे।

एनईएलपी के अंतर्गत घरेलू क्षेत्र विशेष रूप से ब्लॉकों में भूकंपीय सर्वेक्षण और कुओं की ड्रिलिंग के संबंध में समझौता ज्ञापन के पैरामीटर अपस्ट्रीम ऑयल कम्पनी के मुख्य कार्यकलाप होने के कारण अधिक महत्व रखते है। इसके अलावा, पीएससी के अनुसार, ओआईएल से एलडी का भुगतान करना अपेक्षित है यदि वह निर्धारित अनुबद्ध अवधि का पालन करने में विफल हो जाता है। इन पैरामीटरों को समझौता ज्ञापन[46] में उचित महत्व नहीं दिया गया है। भूकंपीय सर्वेक्षण को 2011-12 से समझौता ज्ञापन लक्ष्य से हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, एनईएलपी के अंतर्गत कुओं की ड्रिलिंग के लिए पैरामीटर 2012-13 से समझौता ज्ञापन से हटा दिए गए थे।

लेखापरीक्षा तर्क को स्वीकार करते समय ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि यह पीएससीज के एमडब्ल्यूपी को मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) राष्ट्रीय और संगठनात्मक प्राथमिकता, तत्पश्ता और आवश्यकता का ध्यान में रखते

[46] अध्याय 1 की तालिका 1.4 में देखें

हुए एमडब्ल्यूपी के समय पर समापन के लिए ऐसे पैरामीटर को शामिल करने पर विचार करे।

एमओपीएनजी ने एक्जिट कान्फ्रैस में बताया (जुलाई 2015) कि उन्होने अन्वेषण कार्यकलापों को अधिक महत्व देने का प्रयत्न किया था और मामले को पहले कभी डीपीई के अंतर्गत टास्क फोर्स के पास ले जाया गया था, तथापि, इसे टास्क फोर्स द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था।

6.4 अन्वेषण प्रयासों में उदाहरणात्मक मामलें

6.4.1 ज्ञात समस्यात्मक क्षेत्रों में एनइएलपी ब्लॉकों के लिए अनुचित बोली

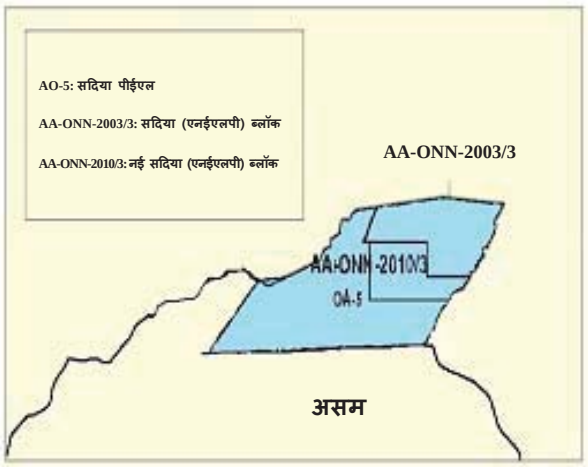

सदिया पीईएल 1130 वर्ग किमी. में अन्वेषण के लिए नामांकन व्यवस्था के अंतर्गत नवंबर 1995 में ओआईएल को दिया गया था, इस क्षेत्र में से 282.5 वर्ग किमी. को पहले पुन: प्रदान (नवम्बर 2001) के दौरान ओआईएल द्वारा छोड़ दिया गया था। ब्लॉक के शेष क्षेत्र को अंतत: तार्किक बाधाओं, जैसाकि पहुंच मार्ग और रिंग मोबिलाइजेशन के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर, पुल की अनुपलब्धता, के कारण अन्वेषण ड्रिलिंग के बिना ही अप्रैल 2009 में ओआईएल द्वारा छोड़ दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- एनईएलपी राऊंड-V (2005) में, ओआईएल ने तार्किक बाधाओं को जानने के बावजूद सदिया में 275 वर्ग किमी. परिमाप के एनईएलपी ब्लॉक एए-ओएनएन-2003/3, जोकि उसी क्षेत्र में स्थित था जहां ओआईएल ने पहले ही पीईएल को छोड़ दिया था, के लिए बोली लगाई।
- ओआईएल ने उन तार्किक समस्याओं के समान समस्याओं के कारण मई 2010 में उपरोक्त ब्लॉक (एए-ओएनएन-2003/3) को छोड़ दिया था जिनके लिए अप्रैल 2009 में सदिया पीईएल को छोड़ दिया गया था। ओआईएल ने एमडब्लयूपी की प्राप्ति न होने के लिए ₹ 19.79 करोड़ की राशि हेतु एमओपीएनजी को एलडी का भुगतान किया था।

- यद्यपि, तार्किक बाधाएं अब भी मौजूद थी, जैसाकि ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल का निर्माण अभी किया जाना था (अप्रैल 2015), फिर भी ओआईएल ने एनईएलपी राऊड-IX (2012) में 171 वर्ग कि.मी. परिमाप के न्यू सदिया (एए-ओएनएन 2010/3) ब्लॉक के लिए फिर से बोली लगाई और एमओपीएनजी ने ओआईएल को ब्लॉक दे दिया।

इस प्रकार ओआईएल के अन्वेषण प्रयास ज्ञात तार्किक समस्याओं के कारण बार-बार विफल हुए।

ओआईएल ने उपरोक्त तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की और आगे बताया (अप्रैल 2015) कि सदिया पीईएल को तार्किक बाधाओं के कारण आवश्यक अन्वेषण ड्रिलिंग के बिना छोड़ दिया गया था। चूंकि, ब्रह्मपुत्र नदी पर अभी पुल का निर्माण चल रहा था, फिर भी इस क्षेत्र का एनईएलपी के माध्यम से दोबारा लिया गया था। ओआईएल ने यह भी बताया कि तत्कालीन पीईएल ब्लॉक सदिया एनईएलपी के अंतर्गत सदिया और न्यू सदिया के नाम से आगामी आबंटन के समान था।

ओआईएल का उत्तर स्वयं ही अंत:विरोधात्मक है क्योंकि तार्किक बाधाओं के साथ-साथ ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल की अनुपलब्धता नियोजन व्यवस्था में इनके अनुभव से पहले ही ज्ञात थी। इस प्रकार, एनईएलपी प्रशासन के अंतर्गत दो ब्लॉकों सदिया और न्यू सदिया के लिए ओआईएल की अगली बोली में औचित्य की कमी थी। तथ्य यह रह जाता है कि पूर्व नियोजन ब्लॉक से निकले एनईएलपी ब्लॉक को ₹ 19.79 करोड़ के एलडी के भुगतान के पश्चात मई 2010 में ओआईएल द्वारा दोबारा छोड़ दिया गया था और दूसरे क्षेत्र के लिए दोबारा बोली लगाई गई थी जिसमें भी पिछले ब्लॉक के समान कमियां थीं।

एमओपीएनजी/ओआईएल ने बताया (जुलाई 2015) कि सदिया ब्लॉक पर एनईएलपी-X राऊंड में दोबारा बोली लगाई गई थी क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी पर पुल का निर्माण 2010 में शुरू हो गया था और इसके अप्रैल 2015 में पूरा होने की संभावना थी।

6.4.2 हाइड्रोकार्बन संभावनाओ वाले ब्लाकों का अनुचित परित्याग

दो ब्लॉक (एएपी-ओएन-94/1 और एनईसी-ओएसएन-97/2) ओआईएल को दिए गए थे जहां ओआईएल नामांकन पीईएल के अंतर्गत प्रचालक था। इन ब्लॉकों को ओआईएल द्वारा बाद में हाइड्रोकार्बन की किसी खोज के बिना छोड़ दिया गया था। बाद में, इन ब्लॉकों को पूर्व-एनईएलपी (एएपी-ओएन-94/1) और एनईएलपी-I (एनईसी-ओएसएन-97/2) के अंतर्गत निजी प्रचालकों अर्थात हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन कम्पनी लिमिटेड (एचओईसी) और रिलायस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल)/निको रिसोर्सेज लिमिटेड (निको) को दिया गया था जहां निजी प्रचालकों ने गैस की खोज की। तथापि, ओआईएल ने हाइड्रोकार्बन को खोजने के लिए ओआईएल के अन्वेषण प्रयासों की विफलता के कारणों को निर्धारित करने के लिए कोई समीक्षा नहीं की थी जबकि निजी प्रचालक हाइड्रोकार्बन खोजने में सफल रहे थे।

ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि ब्लॉक एएपी-ओएन-94/1 के संबंध में ओआईएल थ्रस्ट बेलट क्षेत्र से और अन्यत्र प्राथमिकता क्षेत्रों से भी निकटता होने के नाते जटिल सतही लॉजिस्टिक्स और भौगोलिक जटिलताओं के कारण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका था। ब्लॉक को बाद में मार्गरिटा पीईएल से प्राप्त किया गया था और 1996 के दौरान पूर्व-एनईएलपी बोली के दौर VIII में भारत सरकार नीति के भाग के रूप में निजी जेवी प्रचालक एचओईसी को दे दिया गया था। ओआईएल को इस क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में काफी जानकारी थी और इसने जोखिम सहभाजन के साथ अन्वेषण कार्यकलापों को फास्ट ट्रेक करने के लिए संघ के साथ सक्रिय भागीदार बनने का निश्चय किया। ओआईएल ने ब्लॉक में गैस खोजने में तकनीकी रूप से अत्यधिक सहयोग दिया। इस ब्लॉक ने पहला वाणिज्यिक गैस उत्पादन अगस्त 2016 से शुरू करने की योजना बनाई गई है।

ब्लॉक एनईसी-ओएसएन-97/2 के संबंध में ओआईएल ने बताया कि इसने नामांकन प्रशासन के दौरान ब्लॉक क्षेत्र को रखा था और अन्वेषण कार्यकलाप किए थे, जिसमें एक कुए (एनईसी-2) की ड्रिलिंग शामिल है, जो गैस की मौजूदगी के सकारात्मक सूचक है। चूंकि, पीईएल वैधता समाप्त हो चुकी थी, इसलिए ओआईएल ने ब्लॉक को छोड़ दिया और बाद में इस ब्लॉक के भाग को निजी जेवी प्रचालकों को एनईएलपी राऊंड-I में दिया गया था जो ब्लॉक के स्वामी थे और उन्होंने इस ब्लॉक में गैस की खोज की थी।

ओआईएल ने एनईसी-ओएसएन-97/2 ब्लॉक कें संबंध में लेखापरीक्षा के तर्क को स्वीकार कर लिया। तथापि, ब्लॉक एएपी-ओएन-94/1 के संबंध में ओआईएल का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इसके पास उस ब्लॉक से खोज करने हेतु अवसर था जो 11 वर्ष से अधिक समय से उनके पास था।

एमओपीएनजी/ओआईएल ने एक्जिट कॉन्फ्रेंस में बताया (जुलाई 2015) कि यह देखना एक सामान्य वैश्विक घटना है कि एक ऑयल इएण्डपी कम्पनी एक अन्वेषण चक्र में तेल खोजने में विफल रही और बाद के प्रयासों में सफल रही।

तथापि, तथ्य यह रह जाता है कि ओआईएल का निष्पादन इएण्डपी क्षेत्र में समकक्षों से पीछे रह गया था जैसाकि 3.4 में उल्लेख किया गया है।

6.4.3. दो ब्लॉकों में अन्वेषण के जोखिम और लागत को साझा करने मे विफलता

एनईएलपी-IV (2007) के अंतर्गत असम में दो ब्लॉक अर्थात, एए-ओएनएन-2004/1 और एए-ओएनएन-2004/2, ओआईएल को दिए गए थे। ब्लॉक एएओएनएन-2004/1 ओआईएल (पी I 85 प्रतिशत) और शिव-वाणी ऑयल एण्ड गैस एक्सप्लोरेशन सर्विसेज लिमिटेड (शिव-वाणी) (पी I 15 प्रतिशत) के संघ को दिया गया था। इसी प्रकार, ब्लॉक एए-ओएनएन-

2004/2 ओआईएल (पी I 90 प्रतिशत) और सुतेरा रिसोर्सेज लिमिटेड (एसआरएल) (पी I 10 प्रतिशत) के संघ को दिया गया था।

तत्पश्चात, ओआईएल ने एएचईसीएल को दोनों ब्लॉकों में 10 प्रतिशत पी I हस्तांतरण के लिए सितम्बर 2006 में असम हाइड्रोकार्बन एण्ड एनर्जी कम्पनी लिमिटेड (एएचईसीएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। बदले में एएचईसीएल करार के अनुसार उपरोक्त ब्लॉकों पर ओआईएल द्वारा व्यय की गई पिछली लागत के आनुपातिक हिस्से की प्रतिपूर्ति ओआईएल को करेगा। ओआईएल के निदेशक मंडल (बीओडी) ने एएचईसीएल के पक्ष में उपरोक्त दो ब्लॉकों में पी I के 10 प्रतिशत के अपने हिस्से की सुपुर्दगी का अनुमोदन किया (जुलाई 2007)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- ब्लॉक एए-ओएनएन-2004/1 के मामले में, एएचईसीएल ने एएचईसीएल द्वारा भुगतान की जाने वाली अपेक्षित वास्तविक राशि और विस्तृत भुगतान अनुसूची की सूचना देने के लिए ओआईएल से निवेदन किया (सितम्बर 2011)। उत्तर में (अक्तूबर 2011) ओआईएल ने उपरोक्त ब्लॉक में लिए कुल व्यय (₹ 64.61 करोड़) के 10 प्रतिशत होने के नाते मार्च 2011 तक ₹6.46 करोड़ के व्यय को साझा करने के लिए एएचईसीएल को सूचित किया। तथापि, उपरोक्त मामले पर एएचईसीएल के साथ कोई अन्य अनुनय नहीं किया गया था। इसी बीच ब्लॉक को 2011 में छोड़ दिया गया था।
- ब्लॉक एए-ओएनएन-2004/2 में, डीजीएच ने एसआरएल की भागीदारी को समाप्त कर दिया था (मई 2009) क्योंकि इसने बीजी प्रस्तुति में चूक की थी। जबकि ओआईएल ने डीजीएच को बीओडी के निर्णय से 22 माह बीत जाने के बाद एएचईसीएल के अपने 10 प्रतिशत पी I के हस्तांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया था (मई 2009), फिर भी ब्लॉक एए-ओएनएन-2004/2 में एएचईसीएल को 10 प्रतिशत पीI के हस्तांतरण के लिए प्रस्ताव (मई 2009) को डीजीएच द्वारा लौटा दिया गया था (फरवरी 2010) क्योंकि ओआईएल ने गलती से एसआरएल के 10 प्रतिशत पी I का उल्लेख किया था और डीजीएच ने आवश्यक त्रुटि सुधार के बाद प्रस्ताव को पुन: प्रस्तुत करने के लिए ओआईएल को निर्देश दिया था। ओआईएल को एमओपीएनजी को अभी इस संदर्भ में नया प्रस्ताव भेजना है। जून 2014 तक इस ब्लॉक का कुल व्यय ₹ 61.31 करोड़ था। चूंकि ओआईएल ने अब तक (अप्रैल 2015) दोषपूर्ण सिफारिश को सुधारने पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, इसलिए यह एए-ओएनएन-2004/2 ब्लॉक में ₹ 6.13 करोड़ (10 प्रतिशत पी I के होने के नाते) की एएचईसीएल की भागीदारी प्राप्त नहीं कर सका था।

यद्यपि, ओआईएल की एएचईसीएल को अपने 10 प्रतिशत पीI के हस्तांतरण में रूचि थी, फिर भी यह दोनों ब्लॉकों में एएचईसीएल के साथ जोखिम और लागत को साझा करने के लिए अवसर को प्राप्त करने में विफल रहा। इस प्रकार, एएचईसीएल को पी आई का हस्तांतरण न होने के कारण, ओआईएल ने एएचईसीएल को ₹ 12.59 करोड़ के वित्तीय भार को हस्तांतरित करने का अवसर खो दिया।

ओआईएल ने बताया (अप्रैल 2015) कि ब्लॉक एए-ओएनएन-2004/1 और एए-ओएनएन-2004/2 में एएचईसीएल को 10 प्रतिशत पी I के हस्तांतरण को एएचईसीएल से प्रतिक्रिया और रूचि के अभाव के कारण मूर्त रूप नहीं दिया जा सका।

उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जाना चाहिए कि ओआईएल ने ब्लॉक एए-ओएनएन-2004/1 के संबंध में अक्तूबर 2011 के बाद एएचईसीएल से पिछली लागत की वूसली के लिए यथोचित प्रयत्न नहीं किया था। जहां तक एए-ओएनएन-2004/2 ब्लॉक का संबंध है, वहां एमओपीएनजी को प्रस्ताव की पुन: प्रस्तुति पर ओआईएल की निष्क्रियता के परिणामस्वरूप गतिरोध उत्पन्न हुआ। चूंकि हाइड्रोकार्बन का अन्वेषण जोखिम वाला और उच्च पूंजी वाला कारबार है इसलिए जोखिम की साझेदारी को अन्वेषण चरण के दौरान परामर्शयोग्य माना जाता था। इसके अलावा, ओआईएल ने स्वयं बोर्ड नोट में राय दी (जुलाई 2007) कि यह असम सरकार के साथ बेहतर संबंधों के माध्यम से सहायक होगा और राज्य स्तर की नई हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन कम्पनी के उठने को भी प्रोत्साहित करेगा जो ओआईएल की समग्र कारबार योजना में उपयोगी होगा।